

12. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह या व्यक्ति संगम या किसी अन्य व्यक्तियों की प्रस्तुति के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन जिसी चार्टर्ड एचअकंटेड द्वारा किया जाता चाहिए और नियमानुसार सन्तुष्टि लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आर्जीटेड मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या 8750704009 (एल-डायस कोड) है। यद्यपि इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रश्न के मन्त्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक का उद्धृत करने का कष्ट करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिला निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्वा-शासित अधिकारी के ऐसे प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की क्रियाओं को दुरु करने के लिए जारी किये जायें।
16. समिति के पंजीकरण के नवीकरणार्थ यदि कोई ठोस सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी शर्त समझ-समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहाय अधिकारी किसी भी माध्यम से मंगिन में यह उल्लेख संज्ञांकित होता है कि यह मान्यता विद्यालय/प्रबन्धक द्वारा विभाग को सख्तगोपन कर पाना जो गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व में ही कोई मान्यता प्रदान की गयी है तो यह मान्यता सख्त निरस्त माना जायेगा एवं विभाग/सहाय अधिकारी विद्यालय/प्रबन्धक को दिकान्त नियमानुसार कार्यवाही हेतु सन्तुष्ट होगा।
19. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।

संलग्नक- ध्योका।

महोदय

22/09/20-4-15
शिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-हापुड़।

पृष्ठा / 2018-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि- विन्वालिडिटा की सेवा में सुदृगधं प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़।
2. अगर शिक्षा निदेशक, (बेसिक) शिक्षा सामान्य (1) अनुभाग, इलाहाबाद।
3. राबिड, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. नम्बडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम सफ्टवेल, गैरठ।
5. हापुड़ शिक्षा अधिकारी, सिन्धुवापली।
6. कार्यालय प्रति।

शिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-हापुड़।